प्रदेश में एक ही दिन में साढ़े पांच सौ के करीब नए करोना संक्रमित मिले

जयपुर में सर्वाधिक 135 नए मरीज सामने आए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को करोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके तहत पिछले चौबीस घंटों में साढ़े पांच सौ के करीब नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच करोना से दो लोगों की मौत भी हुई है।

■ **जयपुर और झालावाड़ में करोना से 1-1 मरीज की मौत हुई है।**

प्रदेश में मंगलवार को 27 जिलों में 547 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 379 रोगी पाए गए थे। इधर आज राज्य में सबसे ज्यादा 135 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा भरतपुर में 69, अलवर में 50, नागौर में 43, जोधपुर में 42, बीकानेर में 32, उदयपुर में 22, चित्तौड़गढ़ में 20, सीकर में 19, अजमेर में 18, राजसमंद में 12, दौसा में 11, डूंगरपुर व सवाई माधोपुर में 9-9, जालोर में 8, गंगानगर व झालावाड़ में 7-7, बांसवाड़ा, बूंदी, जैसलमेर, प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा में 5-5, हनुमानगढ़ में 3, धौलपुर व झुंझुनूं में 2-2, चूरू व पाली में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच प्रदेश में 12 हजार 71 कोविड जांच की गई।

उधर प्रदेश में 235 संक्रमित ठीक हुए हैं। हालांकि नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 2858 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 781 लोगों का इलाज जयपुर में चल रहा है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से जयपुर और झालावाड़ में 1-1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 9685 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

राजेन्द्र राठौड़ के जन्मदिन पर 213 यूनिट रक्तदान

जयपुर, (का.सं.)। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर प्रदेश व्यापी रक्तदान महाअभियान के क्रम में राजधानी के करधनी क्षेत्र में भाजपा युवा नेता सानंद ओझा के सानिध्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर कर 213 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

रक्तदान कार्यक्रम का शुभारम्भ राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर और सालासर बालाजी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राठौड़ ने आयोजनकर्ता सहित रक्तदान करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता सानंद ओझा ने नेता प्रतिपक्ष राठौड़ को श्री सालासर बालाजी की प्रतिमा भेंटकर व केक कटवा कर बधाई दी।

5100 दीपकों से ताड़केश्वर मंदिर में हुई महाआरती

सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा मनाये जा रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अन्तर्गत आज चौड़ा रास्ता स्थित भगवान ताड़केशवर मंदिर में 5100 दीपकों से महाआरती का आयोजन किया गया।

जयपुर, (का.सं.)। सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा मनाये जा रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अन्तर्गत आज चौड़ा रास्ता स्थित भगवान ताड़केशवर मंदिर में 5100 दीपकों से महाआरती का आयोजन किया गया।

सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष सविता शर्मा ने बताया कि महासभा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में विप्रजनों ने महाआरती में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा को ओर अधिक बढा दिया। वहां उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं विप्रजन ने भगवान परशुराम एवं ताड़केश्वर नाथ के जयकारे लगाकर महाआरती के महोत्सव को और अधिक मंगलमय बना दिया। मंदिर में शंख, घंटी, घड़ियाल बज रहे थे एवं पंडित सस्वर पाठ कर रहे थे।

इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान शिव और भगवान परशुराम का शास्त्रों में अलग-अलग चित्रण मिलता है जो कि प्रेरणास्पद है और भगवान परशुराम जयंती में आयोजित सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज का हित एवं कल्याण स्वरूप कदम उठाना है। इस अवसर पर भगवान ताड़केश्वर का विशेष श्रृंगार भी किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, आयोजन समिति के जयपुर युवा संभाग अध्यक्ष दिनेश शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट कमलेश शर्मा, जयपुर शहर युवा अध्यक्ष अविकुल शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री श्याम शास्त्री, युवा जयपुर महिला अध्यक्ष पूजा शर्मा, नीलम मिश्रा, गीता शर्मा, लता शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लता शर्मा, गीता शर्मा, सरिता शर्मा, विजय भास्कर, अरविन्द मिश्र, हरिष मिश्रा, अशोक शर्मा सांगानेर, कैलाश शर्मा, हवामहल अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, पं. विश्णु दत्त शर्मा, राघव शर्मा, अशोक भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में युवा व महिलायें उपस्थित थी।

जयपुर में स्वच्छता की शपथ ली

सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा 10 से 24 अप्रैल तक मनाये जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मंगलवार को केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के मीडिया सभागार में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया।

जयपुर, (का.सं.)। सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय द्वारा 10 से 24 अप्रैल 2023 तक मनाये जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज मंगलवार को केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के मीडिया सभागार में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया।

केंद्रीय संचार ब्यूरो एंव पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने आल इण्डिया रेडियो के निदेशक नीलेश कालभोर, दूरदर्शन के निदेशक अभियांत्रिकी एच.पी. मीणा, पत्र सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक पवन फौजदार, ऑल इण्डिया रेडियो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा, दूरदर्शन की समाचार प्रमुख मंजू मीना, ऑल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रम प्रमुख रामकरण मीणा, दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण व्यास, सी.बी.सी के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा तथा पीआइबी, केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे सतीश पूनियां

जयपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय संकल्प अभियान में जुटे राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने बेंगलुरु के दोडबल्लापुर में विशाल नामांकन रैली में शामिल होकर संबोधित किया। डॉ. पूनियां ने बेंगलुरु के दोडबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी धीरज मुनिराज की विशाल नामांकन रैली में शामिल होकर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाने का आह्वान किया। कर्नाटकवासियों को सतीश पूनियां ने कहा कि राजस्थान से आप लोगों के बीच में भाजपा को विजयी बनाने, आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आया हूं, कर्नाटक से राजस्थान तक एक ही आवाज है कि कर्नाटक में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि नामांकन रैली में उमड़े भारी जनसैलाब के बीच भारत माता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इत्यादि के नारों की गूंज सुनाई दी।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जन आक्रोश महासभाओं से दूरी

राजे आज से तीन दिवसीय बीकानेर दौरे पर

जयपुर। प्रदेश में चुनावी साल होने के बाद भी अदावत अभी कम होने का नाम नही ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने अभी भी संगठन के कार्यों से दूरी बना रखी है। वहीं भाजपा जनआक्रोश महासभाओं के दौरान अलग-अलग स्थानों पर जाकर सभाएं कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को बीकानेर में जन आक्रोश महासभा की सभा को सम्बोधित को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने किया।

वही पहले राजे ने जनआक्रोश यात्राओं से भी दूरी बना रखी थी। वहीं मंगलवार को बीकानेर में जनआक्रोश महासभा होने के बाद भी उपस्थित नहीं होकर अब ठीक एक दिन बाद बुधवार से तीन दिवसीय बीकानेर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे रहेगी। इस दौरान वे बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों में दौरा करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस दौरान सूरतगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगी। 20 अप्रेल को सुबह आमजन और राजनेताओं से मुलाकात करेंगी। दोपहर 1 बजे बिश्नोई सभा समिति के कार्यक्रम में भाग लेंगी। वापसी में 3 बजे रवाना होकर 6 बजे बीकानेर पहुंचेंगी। रात्रि विश्राम बीकानेर में करेगी और 21 अप्रेल को सुबह 9:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगी।

विश्व विरासत दिवस के अवसर पर मंगलवार को हवामहल प्रशासन ने पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया।

'विशेषज्ञ कमेटी विवादित प्रश्न-उत्तर की जांच करे'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 के जिन प्रश्न-उत्तरों की चुनौती दी गई है, उनकी जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बताए। इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर छह सप्ताह में पुनः परिणाम जारी करे। अदालत ने भर्ती में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस व सामान्य महिला को पांच फीसदी अतिरिक्त छूट देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर दिए।

■ **कमेटी को छह सप्ताह में पुनः परिणाम जारी करने का आदेश**

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई। वहीं बाद में चार जुलाई को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई। इस पर बोर्ड ने 31 अगस्त को अंतिम कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया। याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए और कई प्रश्नों को डिलीट कर दिया। इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक लाने जरूरी थे लेकिन विवादित प्रश्न-उत्तरों के कारण याचिकाकर्ता तय अंक नहीं ला पाए। भर्ती के पद अभी भी खाली हैं, इसलिए कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाई जाए और दोबारा परिणाम जारी किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनः परिणाम जारी करे।

नशीली दवाइयों के तस्करों को दस साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने अवैध मादक पदार्थ कोडीन फास्फेट की नशीली दवाइयों की तस्करी से जुड़े मामले में तीन तस्करों मोहन शर्मा, चेतन प्रकाश नानकानी व नारायण दास त्रिलोकानी को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर नौ लाख साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मामले में एक आरोपी सुशील करनानी जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहा है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने आपराधिक षडयंत्र रचकर अवैध मादक पदार्थ व नशीली दवाइयों को रखने व परिवहन करने का काम किया है, जबकि उन्हें इस अपराध का पूरा ज्ञान था। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने 10 नवंबर, 2017 को एसओजी में मामला दर्ज कराया।

पूर्व सीजे करेंगे एडीजे भर्ती की कॉपी जांच

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजी भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों में से केवल चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित करने से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की कॉपी जांचने को कहा है। अदालत पूर्व सीजे को कहा है कि वे कॉपियों का रेंडम चयन कर उनकी जांच करें। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदीप मलिक व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि साक्षात्कार में पदों के चार गुणा अभ्यर्थियों के बजाए सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सुकन्या समृद्धि खातों में सांसद बोहरा ने डलवाये 5-5 हजार रुपए

जयपुर। सांसद रामचरण बोहरा ने भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जयपुर जीपीओ में 40 से अधिक बच्चियों के सुकन्या समृध्दि खाते खुलवाए एवं खातों में 5-5 हजार रुपए की एफडी करवाई। इस दौरान सांसद बोहरा ने महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र भी वितरित किए और 'पाती डाकिया को' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। जैन सोशल ग्रुप के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर सांसद बोहरा ने कहा कि आज जिन कन्याओं के खाते खुलवा कर एफडी कराई जा रही है, उनके माता-पिता को हर वर्ष उन कन्याओं के खाते में मात्र 250-250 रुपये जमा कराने होंगे एवं जब वह बालिग हो जाएगी तब वह स्वयं पैसे निकाल सकती हैं। इस पैसे से बालिका की पढ़ाई लिखाई एवं शादी-ब्याह आदि में मदद मिलेगी। सांसद बोहरा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना की भी शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की राशि खाते में जमा कराने पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, यह ब्याज बैंकों द्वारा देय ब्याज से अधिक है। सांसद बोहरा ने कहा कि बड़े हर्ष की बात है कि जिन महिलाओं को आज सम्मान पत्र वितरित किए जा रहे हैं, उनमें से किसी महिला ने 75 हजार तो किसी ने 1 लाख रुपए खाते में जमा करवाएं हैं, इससे यह पता चलता है कि भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, केंद्र सरकार इसी तरह महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए योजनाएं लाती रहेंगी और हम नारी सशक्तिकरण की तरफ इसी तरह मजबूत होते रहेंगे।

सांसद रामचरण बोहरा ने भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में जयपुर जीपीओ में 40 से अधिक बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए एवं उनमें 5-5 हजार रुपए की एफडी करवाई।

दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिवाकर पांडे को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने बिहार निवासी इस अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा की नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 11 मई, 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी लापता हैं। उसने अपने साथ एक फैक्ट्री में काम करने वाले दिवाकर पर शक जताया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनवरी, 2020 में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान अदालत के आमने आया की अभियुक्त पंद्रह वर्षीय पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया था। यहां उसके उसे करीब 7 माह अपने साथ रखा और उसके साथ कई बार संबंध बनाए। इस दौरान अभियुक्त शादी के लिए उसे कोर्ट भी लेकर गया, लेकिन पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उनकी शादी नहीं हो सकी।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:781 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:18.04.2023

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 113 / 34 (HIG), (एरिया 210.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री साहब सिंह जादौन पुत्र श्री कमल सिंह जादौन को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2939 दिनांक 31.01.2001 को जारी किया गया। श्री साहब सिंह जादौन के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 19.04.2017 को उप पंजीयक-अष्टम जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री साहब सिंह जादौन की मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को हो जाने के कारण हकत्याग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री राजेश सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री साहब सिंह जादौन द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्री राजेश सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री साहब सिंह जादौन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक, राज. आव. मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/104 दिनांक-18.04.203

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैकि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 65/233, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 46.080 वर्ग मीटर/ वर्ग गज का आवंटन श्री ओम प्रकाश माथुर पुत्र स्व. श्री एच. बी. माथुर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4294 दिनांक 27.2.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री ओम प्रकाश माथुर की मृत्यु दिनांक 06.08.2001 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती मणि माथुर पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश माथुर ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोईआपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोईआपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती मणि माथुर पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश माथुर के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरा नाम घर में अन्नू अग्रवाल के नाम से बोलते है और ड्यूक्यूमेंट में अनिता अग्रवाल पत्नि प्रमोद कुमार अग्रवाल है और दोनो एक ही है भविष्य में मुझे अनिता अग्रवाल के नाम से जाना जाए। पताः- दुकान नंबर- 6, इंद्रा कॉलोनी, बनी पार्क जयपुर

मेरी पुत्री की अंक तालिका 10वीं व 12वीं में विमला चौधरी गलत अंकित हो गया जबकि मेरा नाम विमला देवी है। मेरे को भविष्य में विमला देवी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे पता- P.No.-53, पटेल विहार, गोल्यावास, मानसरोवर (जयपुर)

मेरी पुत्री की अंक तालिका 10वीं व 12वीं में शंकर लाल चौधरी गलत अंकित हो गया जबकि मेरा नाम शंकर लाल जाट है। मेरे को भविष्य में शंकर लाल जाट के नाम से ही जाना व पहचाना जावे पता- P.No.-53, पटेल विहार, गोल्यावास, मानसरोवर (जयपुर)

I, Niharika Singh Changed my Surname to Niharika Chauhan. D/o Wg. Cdr. Rohit Chauhan (Retd.) 27A/1 Kanti Chandra Road, Banipark, Jaipur, Rajasthan- 302016. w.i.f April 2023.

खोया पाया

मैं दीपांशी खत्री पुत्री नरेश कुमार खत्री ये बयान करती हूँ कि मेरे कक्षा 10वीं के पास सर्टिफिकेट व मार्कशीट जो वर्ष 2021 में स्प्रिंग फिल्ड स्कूल से जारी किये थे, खो चुके हैं इंडेक्स नंबर 1211832/034

प्लॉट नं.233, गनतपुरा भांकरोटा, जयपुर का मूल आवंटन, कब्जापत्र जो श्रीमती निर्मला देवी के नाम से है जो निवासी स्थान से मैन रोड भांकरोटा में कहीं गिर गये, मिलने पर सूचित करें- 9782839247

मेरे मकान न.1-ख-9, जवाहर नगर, जयपुर के मूल दस्तावेज पजेशन लैटर, डिक्लेरेशन, नो ड्यूस सर्टिफिकेट कही गिर गये है। मिलने पर सूचित करे। 9929108749-शरद मिश्रा

खण्डन आम सूचना

ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तह.जयपुर जिला जयपुर में भूमि खसरा नं.22/23 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसके बैचान का अनुबंध दिनांक 4.1.2006 ईस्वी को ही काबिज व अधिकारी श्री श्याम लाल खेडवाल पुत्र श्री नोरंगलाल जी खेडवाल निवासी चौहानों के कुंए के पास (शीतला स्कूल के पास) चूणा चौक फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान द्वारा मेरे अभिभाष्य श्री औमप्रकाश शर्मापुत्र श्री मदन लाल जी शर्मा निवासी 7 कल्याण नगर-प्रथम, मोरानी मोटर्स के पीछे, टोंक रोड जयपुर के हित मे किया गया था और भागिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी और उसी के अनुक्रम में उक्त भूमि का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 3.11.2022 ईस्वी को निर्णय पारित हो जाने के उपरान्त इकरारनामा दिनांक 04.01.2006 ईस्वी को यथावत प्रभावी करार देते हुए मेरे अभिभाष्य के हित में दिनांक 29.11.2022 ईस्वी को लिखकर निष्पादित कर दिया था और तत् समय भी उक्त विक्रेता श्री श्याम लाल खेडवाल द्वारा मेरे अभिभाष्य से सहमति अनुसार भागिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी। जो कि इकरारनामा नोटेरी पब्लिक द्वारा अपने रजि. में दर्ज किया जाकर विधिवत् अनुप्रमाणित किया गया था इस प्रकार उक्त भूमि मेरे अभिभाष्य के हित में उक्त श्री श्याम लाल खेडवाल द्वारा विधिवत् बैचान से अनुबंधित है परिणमतः मेरे अभिभाष्य सहित उनके पुत्र दीपक शर्मा के हित मे उक्त भूमि के बैचान आदि की लिखा-पढी कानूनन प्रभावी व मान्य हैएवं तयशुदा शर्तो अनुसार मेरा अभिभाष्य उक्त भूमि का विक्रय पत्र अपने हित में पंजीकृत कराने का कानूनन अधिकारी है। किन्तु उक्त श्री श्याम लाल खेडवाल की नियत में खोट व बईमानी आ जाने के कारण से मेरे अभिभाष्य को उसके विधिक हितों एवं अधिकारों से वंचित व विफल करने के इरादे से उक्त भूमि के बाबत् मेरे अभिभाष्य के हित में लिखित व निष्पादित इकरारनामा, मुख्त्यारनामा व श्री दीपक शर्मा के हित मे लिखित व निष्पादित वसीयतनामा को निरस्त कराये जाने की झूठी व भ्रामक सूचना का प्रकाशन अपने अधिवक्ता श्री जय कौशिक एडवोकेट के मार्फत् दैनिक भास्कर, फतेहपुर संस्करण में दिनांक 18.4.2023 ईस्वी को कराया है। जो कि उक्त सूचना पूर्णतया मिथ्या व भ्रामक है जिसका मेरे अभिभाष्य द्वारा सिरे से खण्डन किया जाता है साथ ही उक्त भूमि सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को कोईभी व्यक्ति कम्पनी आदि खरीद फरोख्त का संव्यवहार नहीं करें अन्यथा ऐसा कृत्य आपराधिक व गैरकानूनी होने के साथ ही मेरे अभिभाष्य के विधिक हितों एवं अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व आमन्य होगा। कृपया सूचित रहें।
LAWYER -N.S " ADITYA-SHIVANSH" RAJ. HIGH COURT JAIPUR Mob. No. 9785105424

(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 88/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामदयाल बैरवा पुत्र श्री घीसाराम बैरवा, निवासी 316, जे.डी.ए.नगर, बस्ती गोवन्दपुरा, सांगानेर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान, मकान नं.37, इन्द्रपाल कॉलोनी शिकारपुरा रोड, वार्ड नं.98, सांगानेर, जयपुर 302029 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18.4.23 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 26.6.23
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.) (जिला-टोंक)
क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2023-24/501 दिनांक-18/04/2023
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक सूचना
श्री/श्रीमति कांता देवी आशाराम पत्नी आशाराम उर्फ अशोक कुमार, चंचल पुत्री दिलीप कुमार, द्वारका प्रसाद पुत्र नारायणी पत्नी आशाराम उर्फ अशोक कुमार, भगवती देवी पुत्री नारायणी पत्नी आशाराम उर्फ अशोक कुमार, मधुबाला पत्नी दिलीप कुमार, सौरभ पुत्र दिलीप कुमार निवासी एच हरपाल सिंह रोड नई दिल्ली, ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक से (कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	कस्बा निवाई तह.निवाई जिला टोंक	निवाई	2474/1, 2480/1 2474/2, 240/2	कुल कीता-04 रकबा-13 बीघा 10 बिस्वा

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज......... को जारी की जाती है।
(श्रीमति महिमा डांगी) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षेत्र निवाई